भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1010

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

संस्थान के लिए स्वायत्तता

1010. डा॰ कनवर दीप सिंहः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है**;

**(ख) यदि हां**, **तो तत्संबंधी स्थिति क्या है**; **और**

**(ग) यदि नहीं**, **तो क्या ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

**(क) और (ख): जी, हां। आईआईआईटी-पीपीपी विधेयक, 2017 पर मंत्रालय में कार्य चल रहा है। पहले कदम के रूप में, मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को विचार-विमर्श हेतु भेजा गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने, सूचना प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों हेतु जनशक्ति प्रदान करने और ऐसी संस्थाओं अथवा उनसे संबंधित कुछ अन्य मामलों के लिए आईआईआईटी-पीपीपी विधेयक, 2017 का प्रारूप बनाया गया है।**

**(ग): प्रश्न नहीं उठता।**

\*\*\*\*\*\*